

पारदर्शिता हमारी पहचान है

एमटीएनएल  
पोर्ट इन आवेदन फार्म

यूपीसी----- पोर्ट इन आवेदन की तिथि :.....

1. एमटीएनएल में लाए जाने वाले (पोर्ट-इन) मोबाइल नंबर : \_\_\_\_\_
2. एमटीएनएल में पोर्ट-इन से पहले नं. का प्रकार : प्रीपेड / पोस्टपेड
3. पोर्ट-इन के पश्चात : प्रीपेड/पोस्टपेड
4. दाता ऑपरेटर: \_\_\_\_\_

5. उपभोक्ता का नाम : \_\_\_\_\_
6. उपभोक्ता का पता \_\_\_\_\_
7. पिता का नाम : \_\_\_\_\_
8. जन्म तिथि : \_\_\_\_\_
9. वैकल्पिक संपर्क नंबर तथा ई-मेल : \_\_\_\_\_
10. क्या एमटीएनएल द्वारा यथा निर्दिष्ट अधिग्रहण फार्म नए उपभोक्ता पर लागू होने वाले सभी दस्तावेजों के साथ जमा करा दिया गया है : हाँ / नहीं
11. क्या एमटीएनएल के पोर्टिंग प्रभार जमा कर दिये गए हैं : हाँ/नहीं/छूट दी गई
12. क्या पोस्टपेड उपभोक्ता के मामले में अंतिम बिल की प्रति जमा कर दी गई है : हाँ/नहीं
13. एमटीएनएल में पोर्ट-इन नंबर के लिए प्लान\* \_\_\_\_\_

एमटीएनएल में पोर्ट-इन नंबर के लिए इच्छित उपभोक्ताओं द्वारा घोषणा

- मैं खंड अ में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इसका पात्र हूँ ।
- खंड ब में उल्लिखित अस्वीकृति का आधार मुझ पर लागू नहीं होता।
- इस आवेदन से पहले मैंने खंड ई में उल्लिखित पोर्टिंग आवेदन को वापिस लेने के लिए अनुरोध नहीं किया है ।
- मैंने अपेक्षित शुल्क जमा करा दिया है ।
- सफलता पूर्वक पोर्टिंग के पश्चात में एमटीएनएल के उपभोक्ता के रूप में प्लानों, कानूनों एवं नियमों का पालन करूंगा।
- पोर्ट किए जाने वाले नंबर से संबंधित कोर्ट संबंधी कोई मामला नहीं है।
- खंड ई के अनुसार पोर्ट-इन आवेदन वापिस लेने का कोई अनुरोध नहीं है तथा पोर्टिंग आवेदन वापिस लेने की प्रक्रिया को समझ लिया है ।
- मैं खंड सी /डी के अनुसार पोस्टपेड तथा प्रीपेड की वचनबद्धता के प्रावधानों को समझता हूँ तथा उनसे सहमत हूँ। मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचना सही है तथा उपरोक्ता सूचना में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए मैं उत्तरदायी हूँ ।

एमटीएनएल सिम नं.

संचार हाट/जनसंपर्क अधिकारी/वितरक का नाम तथा संपर्क नंबर

उपभोक्त

II के हस्ताक्षर

-----  
-----

उपभोक्ता प्रति

यूपीसी \_\_\_\_\_

संचार हाट/जनसंपर्क अधिकारी/वितरक का नाम

-----

दिनांक : / /2011

मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_

संचार हाट/जनसंपर्क अधिकारी/वितरक का संपर्क

नंबर

-----

एमटीएनएल सिम नंबर \_\_\_\_\_

उपमंडल अभियंता संचार हाट/वितरक

के हस्ताक्षर

उपभोक्ता सहायता के लिए : 1800111503 ,1503 or 011-22221503 को संपर्क करें या हमें [1503@bol.net.in](mailto:1503@bol.net.in) पर ई-मेल करें।

सभी कॉलम अनिवार्य हैं :-

अ) पोर्ट-इन आवेदन करने के लिए पात्रता का मानदंड ( विनियम 6 MNP )

प्रत्येक उपभोक्ता अपने मोबाइल नंबर में पोर्ट-इन आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते कि,

(क) मोबाइल नंबर पहले पोर्ट न किए जाने के मामले में उसके मोबाइल कनेक्शन के सक्रियण की तिथि से अथवा उस पहले पोर्ट किए गए मोबाइल नं. के मामले में मोबाइल नं. की पिछली पोर्टिंग के पश्चात सक्रियण की तिथि से 90 दिन की अवधि समाप्त हो गई हो, जैसा भी मामला हो ;

(ख) पोर्टिंग के आवेदन की तिथि से पहले डोनर प्रचालक के पक्ष में बिलिंग चक्र के अनुसार जारी लंबित बिलों अथवा बिलों के रूप में, जैसा भी मामला हो, कोई बकाया भुगतान देय नहीं है ;

(ग) मोबाइल नंबर के स्वामित्व-परिवर्तन का कोई आवेदन लंबित नहीं है ;

(घ) पोर्ट किया जाने वाला मोबाइल नंबर विचारधीन नहीं है ;

(ङ) संबंधित मोबाइल नंबर की पोर्टिंग को न्यायालय द्वारा निषिद्ध नहीं किया गया है ।

ब) अस्वीकृति के लिए विनियम 12 में विनिर्दिष्ट आधार -;

(1) उपभोक्ता की तरफ पोर्टिंग के आवेदन की तिथि से पहले जारी सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार जैसा भी मामला हो लंबित बिलों अथवा बिलों के रूप में बकाया अदायगी देय है ;

(2) नए कनेक्शन के सक्रियण की तिथि से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले पोर्टिंग आवेदन कर दिया गया है ;

(3) मोबाइल नंबर के स्वामित्व परिवर्तन का आवेदन प्रक्रियाधीन है ;

(4) पोर्ट किया जाने वाला मोबाइल नंबर विचाराधीन है ;

(5) मोबाइल नंबर की पोर्टिंग को न्यायालय द्वारा निषिद्ध नहीं किया गया है ;

(6) यह आवेदन अंतः सेवा क्षेत्र पोर्टिंग के लिए है ;

स) पोस्टपेड के लिए वचनबंध

पोस्टपेड उपभोक्ता के मामले में, उपभोक्ता की ओर से एक वचनबंध है कि उसने डोनर प्रचालक को पिछले बिल के अनुसार सभी देय राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है तथा वह पोर्ट किए जाने वाले मोबाइल नंबर की संभावित पोर्टिंग तक उससे संबंधित सभी देय राशि डोनर प्रचालक को अदा करने के लिए बाध्य होगा तथा वह यह समझता है तथा मानता है कि डोनर प्रचालक को इस प्रकार के किसी भुगतान की अदायगी न करने की स्थिति में इस प्रकार के भुगतान की वसूली के नियम के अधीन बिना किसी पूर्वाग्रह के डोनर प्रचालक उपलब्ध किसी अन्य उपाय द्वारा आदाता प्रचालक के पोर्टेड मोबाइल नंबर को काट सकता है ।

द) प्रीपेड के लिए वचनबंध

पोस्टपेड उपभोक्ता के मामले में उपभोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबंध है, कि वह यह समझता है तथा स्वीकार करता है कि पोर्टिंग के समय मोबाइल नंबर पर यदि टॉक टाइम की कोई राशि बची हुई है तो वह समाप्त हो जाएगी।

इ) पोर्टिंग आवेदन वापिस लेने के लिए .---

(1) उपभोक्ता पोर्टिंग आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर आदाता प्रचालक को लिखित रूप में सूचित करके उस आवेदन को वापिस ले सकता है बशर्ते वह आवेदन वापिस लेने वाला उपभोक्ता आदाता प्रचालक को किए गए भुगतान के किसी भी पोर्टिंग-प्रभार की वापसी का हकदार नहीं होगा।

(2) जहां आदाता प्रचालक ने आवेदन वापिस लेने से संबंधित सूचना की प्राप्ति तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को पोर्टिंग आवेदन नहीं भेजा है, तो उस पोर्टिंग आवेदन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(3) यदि आदाता प्रचालक ने पहले से ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को आवेदन वापिस लेने से संबंधित सूचना प्राप्त होने से पहले पोर्टिंग आवेदन भेज दिया है तो वह तत्काल पोर्टिंग आवेदन वापिस लेने के संबंध में मोबाइल नंबर सेवा प्रदाता को सूचित करेंगे तथा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता तत्काल पोर्टिंग आवेदन वापिस लेने संबंधी सूचना डोनर प्रचालक को देंगे।

(4) उपनियम (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों में आदाता प्रचालक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को प्रति पोर्ट ट्रांसैक्शन पर लागू होने वाले प्रभार का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

आदाता के रूप में एमटीएनएल के लिए जाँच सूची :

1. एमएनपी आवेदन पूर्णरूप से भरा गया है: हाँ/नहीं
2. शुल्क जमा किया गया है : हाँ/नहीं/छोड़ दिया गया
3. पोर्ट इन आवेदन फार्म में उल्लिखित यूपीसी
4. प्राप्त किये गये सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सामान्य CAF : हाँ/नहीं
5. पोर्टिंग उपभोक्ता को जारी किया गया सिम कार्ड : हाँ/नहीं

फ) अनुदेश - एमटीएनएल का पोर्ट इन आवेदन फार्म भरने के लिए मदवार दिशा निर्देश :

1. 1900 पर मूल सेवा प्रदाता को "पोर्ट मोबाइल नंबर टू बी पोर्टेड" संदेश भेजने के लिए बनाया गया यूपीसी कोड (यूनीक पोर्टिंग कोड) मूल प्रचालक में पोर्ट किये जाने वाले (प्रीपेड /पोस्टपेड) नंबर का प्रकार उल्लिखित किया जाना चाहिए।
2. एमटीएनएल में पोर्टिंग के पश्चात नंबर का प्रकार, चाहे प्रीपेड अथवा पोस्टपेड।
3. एमटीएनएल में पोर्ट किया जाने वाला मोबाइल नंबर।
4. प्रचालक का नाम, जहां से मोबाइल नंबर एमटीएनएल में पोर्ट किया जाना है।
5. पोर्ट किये जाने वाले मोबाइल नंबर के धारक उपभोक्ता का नाम।
6. पोर्ट किये जाने वाले मोबाइल नंबर के धारक उपभोक्ता का पता।
7. पोर्ट किये जाने वाले मोबाइल नंबर के धारक उपभोक्ता के पिता का नाम।
8. पोर्ट किये जाने वाले मोबाइल नंबर के धारक उपभोक्ता की जन्म तिथि।
9. डीओटी के अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एमटीएनएल की सामान्य सीएएफ भी भरी जानी चाहिए।
10. क्या पोर्ट-इन प्रक्रिया के लिए किसी शुल्क का भुगतान किया गया है।
11. दूसरे प्रचालक के पोस्टपेड नंबर को एमटीएनएल में पोर्ट-इन के इच्छुक उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाए।
12. एमटीएनएल द्वारा प्रदत्त सिम जिस पर पोर्टेड मोबाइल नंबर (यदि एमटीएनएल में सफलता पूर्वक पोर्ट-इन है तो) कार्य करेगा।
13. प्लान का नाम जो उपभोक्ता एमटीएनएल में पोर्ट-इन होने पर मोबाइल नंबर पर चालू करवाना चाहता है।

\*विभिन्न टेरिफ प्लानों से संबंधित सूचना एमटीएनएल वेबसाइट : [www.mtnldelhi.in](http://www.mtnldelhi.in), संचार हाट तथा हेल्पलाइन पर उपलब्ध है। (यदि प्लान का उल्लेख नहीं है तो डीफाल्ट प्लान दे दिया जाएगा)।

**सभी कॉलम अनिवार्य हैं।**